

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण (एक्स्ट्रा आर्डिनरी) में प्रकाशित
किया जाए)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9 अण्डर हिल रोड, दिल्ली-110054

सं०-एफ.127/पीसीओ/एसटीए/2009/422 दिनांक: 16-11-2009

अधिसूचना

सं०-एफ.127/पीसीओ/एसटीए/2009/422—इसके द्वारा पूर्व अधिसूचना सं०-एफ-119/पीसीओ/एसटीए/2009/378, दिनांक 03 नवम्बर, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा(1) के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कथित उपधारा (1) के खण्ड(डी) से सम्बंध रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात्:—

1- सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्टेज कैरिज बसों के परिचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्न प्रकार होगा:—

(ए) साधारण स्टेज कैरिज बसें:—

दूरी	किराया
4 किलोमीटर तक	रु० 5.00
4 किलोमीटर से 10 कि०मी० तक	रु० 10.00
10 किलोमीटर से अधिक	रु० 15.00

प्राइवेट स्टेज कैरिज (ब्लू लाइन) बसें निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही उपरोक्त किराया वसूल करेंगी:—

(1) यात्री सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्राइवेट स्टेज कैरिज (ब्लू लाइन) बसों द्वारा प्रतिमास /प्रतिबस रु० 10,000/- की दर

अ. चगती

10/0

स और आरटीवी/हल्के एवं मध्यम यात्री वाहनों द्वारा प्रति मास/प्रतिबस
रु0 2400/- कम्पोजिट शुल्क का भुगतान दिल्ली परिवहन निगम को
किया जायेगा।

- (2) विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध में शहीदों की विधवाओं एवं उनके
आश्रितों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किये गए रियायती पासों
को मान्यता दी जायेगी।
- 2- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन नागरिकों के परिवार के सदस्यों के
लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं (बीपीएल) और जो रा0 रा0 क्षेत्र,
दिल्ली सरकार की अन्तोदय अन्न योजना (एएवाई) की सुविधा प्राप्त कर
रहे हैं तथा जिनके पास आवश्यक बीपीएल/एएवाई
प्रमाण-पत्र/दस्तावेज हैं, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी/रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निर्धारित
किया गया है, उनके लिए साधारण गैर-वातानुकूलित (नॉन ए0सी0) पास
के लिए किराया प्रतिमास प्रतिपास आठ सौ रुपये के स्थान पर प्रतिपास
प्रतिमास रु0 पांच सौ होगा।
- 3- 3 नवम्बर, 2009 की कथित अधिसूचना में उल्लिखित अन्य निदेश पूर्ववत्
रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के नाम से एवं आदेश से

(514)
(आर0 के0 वर्मा)

सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

0/0



15/c

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART-IV EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI - 110054.

No.F.127/PCO/STA/2009/ 422

Dated :- 16-11-2009

NOTIFICATION

No.F.127/PCO/STA/2009/ 422 In partial modification of earlier notification bearing No.F.119/PCO/STA/2009/378 of November 03, 2009 in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely:-

1. From the date of publication of the notification in the Official Gazette, the fares chargeable by the operators of stage carriages buses in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows :-

(a) **Ordinary Stage Carriage Buses:**

<u>Distance</u>	<u>Fare</u>
Up to 4 kilometers	Rs. 5.00
From 4 kilometers to 10 kilometers	Rs.10.00
Above 10 kilometers	Rs.15.00

In case of private stage carriage (blue line) buses, the above fares will be chargeable subject to the following conditions:

Contd....P/2



14/c

2.-

- (i) Payment of Composite Fee @ Rs.10,000/- per month/per bus by the private stage carriage (blue line) buses and Rs.2,400/- per month/per bus by RTVs/light and medium passenger motor vehicles to DTC for use of passenger facilities
- (ii) Honouring the concessional passes issued by Delhi Transport Corporation to disabled persons, freedom fighters, war-widows and their dependents.

2. The fare for general Non-AC pass for the family members of the residents of National Capital Territory of Delhi who are living below the poverty line (BPL) including those who are availing the facility of Antyodaya Ann Yojana (AAY) of Government of NCT of Delhi and are in possession of requisite BPL/AAY certification / documentation as prescribed by the competent authority / the Department of Food Supplies & Consumer Affairs of Government of National Capital Territory of Delhi shall be Rupees Five Hundred per pass per month instead of Rupees Eight Hundred per pass per month.

3. The other directions contained in the said notification of 3rd November, 2009 shall remain unchanged.

**By Order and in the name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi**



(R.K. Verma)
Secretary-cum-Commissioner (Transport)

o/c

